राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0)
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,–सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226010

e-mail:nulmup@gmail.com w ebsite:www.sudaup.org

पत्रांक 4353 /241/nulm/तीन/2001(एसयूएसवी) दिनांक 16/10/2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
जनपद– सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ झांसी, फिरोजाबाद, कानपुर, अलीगढ, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, फैजाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मऊ, बुलन्दशहर, हापुड, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई (जालौन), अमरोहा, शाहजहांपुर, सम्भल एवं जौनपुर।

नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट आफीसर,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,
जनपद– सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ झांसी, फिरोजाबाद, कानपुर, अलीगढ, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, फैजाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई (जालौन), अमरोहा, शाहजहांपुर, सम्भल एवं जौनपुर।

विषय– उ0प्र0 पथ विकेता नियमावली, 2017 के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

जारी 16/10/2018

कृपया शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की संरक्षा करने और पथ विक्रय कियान्वयन का विनियमन करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुसंगिक नियमों के लिए भारत सरकार द्वारा पथ विक्रय अधिनियम, 2014 अधिसूचित किया गया है। प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन), नियमावली, 2017 नगर विकास विभाग अनुभाग–9 के द्वारा दिनांक 10.05.2017 को अधिसूचित की गई है।

उपरोक्त नियमावली में प्रावधानित किये गये नियमों के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जानी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित कार्य समयबद्ध रूप से किये जाने है, उसका विवरण निम्नवत है:–

क0 सं0	उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के नियम	उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के अनुसार कार्य/कार्यवाही
1	नियम–4	नगर पथ विक्रय समिति का गठन।
2	नियम–5	पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की नीति
3	नियम–10	नगर पथ विक्रय समिति के लिए कार्यालय, स्थल कर्मचारी वर्ग और सचिव का उपबन्ध किया जाना
4	नियम–6(थ)	नगर पथ विक्रय समिति द्वारा पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना
5	नियम–25(1)	पथ विक्रेताओं के शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधार हेतु विवाद निवारण समिति का गठन।
6	नियम–15	विक्रय परिक्षेत्रों (वेडिंग/नो वेडिंग जोन) का चिन्हांकन
7	नियम–12	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण
8	नियम–13	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण(प्रपत्र–2)
9	नियम–14	पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना (प्रपत्र–3)
10	नियम–22	पथ विकताओं को परिचय पत्र(आई0 कार्ड) (प्रपत्र–7) जारी करने (सूडा के पत्रांक 1134/241/एनयूएलएम/तीन/2001 एसयूएसवी–सीएसयूपी, दिनांक 05.06.2018 द्वारा जारी पत्र के साथ संलग्न शासन से अनुमोदित पहचान पत्र के प्रारूप पर)
11	नियम–6(छः)	पथ विक्रेता योजना (प्लान) तैयार किया जाना।

उपरोक्त सभी कार्य भारत सरकार के पथ विक्रेता अधिनियम,2014 के अनुसार उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के अन्तर्गत किये जाने है जिसके संबंध में शासन स्तर से पत्रांक–789/नौ–9–2017–170ज/06 टी0सी0ए, दिनांक 21.08.2017, पत्रांक 1000/नौ–9– 2017–170ज/06टी0सी0ए, दिनांक 07.12.2017, पत्रांक–सी0एम14/नौ–9– 2017–170ज/06टी0सी0ए, दिनांक 18.12.2017, पत्रांक 1377/नौ–9–2017–170ज/06टी0सी0, दिनांक 27.12.2017 एवं अभिकरण मुख्यालय के पत्रांक–1719/241/NULM/तीन/2001(SUSV)-CSVP दिनांक 29.06.2018 द्वारा उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुसार समयबद्ध तरीके से कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रेषित किये गये है।

उल्लेखनीय है कि उक्त शहरों में सर्वे समाप्त हुए लगभग 02 वर्ष व्यतीत हो रहें है परन्तु अभी तक नगर पथ विक्रय समिति (टी0वी0सी0) और नगर निकाय बोर्ड से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान अभिकरण मुख्यालय को अद्यतन अप्राप्त है, जिस पर शासन एवं भारत सरकार द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की जा रही है।

उक्त शहरों में सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं को शासन की अपेक्षानुसार एवं उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के अनुसार प्रत्येक दशा में 15.11.2018 तक पथ विक्रेताओं को शहरी पथ विक्रेता प्लान, पथ विक्रेता प्रमाण पत्र (वेडिंग सर्टिफिकेट) एवं पहचान पत्र जारी किये जाये। अभिकरण मुख्यालय के पत्रांक–1134/241/NULM/तीन/2001(SUSV)-CSVP दिनांक 05.06.2018 द्वारा पथ विक्रेता प्रमाण पत्र (वेडिंग सर्टिफिकेट) एवं पहचान पत्र का प्रारूप जारी किया गया है ।वेडिंग प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये जाने की कृत कार्यवाही से अभिकरण मुख्यालय को अवगत कराये ताकि शासन एवं भारत सरकार को अवगत कराया जा सके।

शहरी पथ विक्रेता को अधिनियम, 2014 एवं नियमावली 2017 के अनुसार सहायता उपलब्ध कराया जाना सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रमों में शामिल है, जिसका निरन्तर उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत सरकार स्तर पर भी नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है एवं निरन्तर भारत सरकार को प्रगति आख्या प्रेषित की जा रही है

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सारिणी में दिये गये समस्त कार्यो को अतिशीध्र नियमावली के अनुसार सम्पादित कराये जाने के लिए टी0वी0सी0 एवं नगर निकाय बोर्ड से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध कराना एवं कैम्प लगाकर पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही उक्त निर्धारित तिथि तक पूर्ण किये जाने हेतु संबंधित को समयबद्व अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

16/XI/18

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव एवं निदेशक(डीएवाई–एनयूएलएम), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि समस्त उक्त नगर निकायों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. संबंधित परियोजना अधिकारी, डूडा, उपरोक्त शहर, उ0प्र0।
5. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उपरोक्त शहर उ0प्र0।
6. सहायक बेवमास्टर, सूडा को सूडा की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

16/XI/18

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक